

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य में नये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने एवं सीट वृद्धि हेतु दिशा-निर्देश

1. उत्तराखण्ड शासन उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या 672/XXIV(3) / 2017-07(07) 2017 के द्वारा निम्न कोर्सों हेतु आवेदन किये जा सकते हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

● पैरामेडिकल कोर्स-

- | | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1. बी0एम0एल0टी- | 03 वर्ष |
| 2. बी0पी0टी- | 04 वर्ष 06 माह |
| 3. बी0एस0सी0 मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी- | 03 वर्ष |
| 4. बी0एस0सी0 आप्टोमेट्री- | 03 वर्ष |
| 5. बी0एस0सी0 इन मेडिकल टैक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी)- | 03 वर्ष |
| 6. बी0एस0सी0 इन मेडिकल टैक्नोलॉजी (आपरेशन थियेटर)- | 03 वर्ष |
| 7. बैचलर ऑफ ओडियोमेट्रिक एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी- | 03 वर्ष |
| 8. एम0एस0सी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री- | 03 वर्ष |
| 9. एम0एस0सी मेडिकल एनाटमी- | 03 वर्ष |
| 10. एम0एस0सी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी | 03 वर्ष |
| 11. एम0एस0सी मेडिकल फिजियोलॉजी | 03 वर्ष |
| 12. एम0एस0सी लैब टैक्नोलॉजी- | 02 वर्ष |
| 13. एम0एस0सी मेडिकल फारमाकोलॉजी | 03 वर्ष |
| 14. एम0पी0टी (आब्स एण्ड गायनी) | 02 वर्ष |
| 15. एम0पी0टी (आर्थो) | 02 वर्ष |
| 16. एम0पी0टी (न्यूरो) | 02 वर्ष |
| 17. एम0पी0टी (स्पोर्ट्स) | 02 वर्ष |
| 18. एम0पी0टी (कार्डियक) | 02 वर्ष |
| 19. एम0पी0टी (पिडिया) | 02 वर्ष |
| 20. एम0पी0टी (फिजियोथैरेपी) | 02 वर्ष |
| 21. डिप्लोमा इन डाईलेसीस टैक्नालॉजी (डी0डी0टी) | 01 वर्ष |
2. यू0जी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रम पूरा होने के उपरान्त अथवा पैरामेडिकल कोर्स के अन्तिम वर्ष के दौरान ही पी0जी0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. संस्थान हेतु आवेदन फार्म लेने से लेकर जमा करने एवं अनापत्ति निर्गत होने की प्रक्रिया निम्नवत है:-

i- चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने की चक्रवार तिथियां 01 जनवरी से 15 फरवरी एवं 01 जुलाई से 31 जुलाई तक है।


ii- सभी अनिवार्य दस्तावेज क्रम में लगाने के उपरान्त ही आवेदन फार्म जमा करें।

iii- आवेदन पत्र भरने के उपरान्त समस्त संलग्नकों/दस्तावेजों सहित जमा करने की चक्रवार तिथियाँ 28 फरवरी एवं 30 अगस्त होगी।

*



- iv- अपूर्ण रूप से भरे एवं आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- v- आवेदको द्वारा जिस कोर्स हेतु आवेदन पत्र कय किया जाएगा उसी कोर्स में अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जमा करेगा, किसी अन्य कोर्स हेतु आवेदन पत्र बदला नहीं जाएगा।
- ↓
- vi- चिकित्सा शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून स्तर पर बैठक के उपरान्त शासन को निरीक्षण रिपोर्ट सुस्पष्ट तैयार कर शासन को प्रेषित ।
- ↓
- vii- चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन की उपसमिति के स्तर पर बैठक।
- ↓
- viii- चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक।
- ↓
- ix- उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित इम्पावर्ड कमेटी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।
4. शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात संस्थान को हे0न0ब0चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता / पैरामेडिकल काउन्सिल से अनुमति/मान्यता प्राप्त होने के उपरान्त ही संस्थान के छात्र-छात्राओं का प्रवेश की अनुमति होगी।



निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।